न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–536 / 2026
(मो0 कलीम बनाम राज्य सरकार)

==========

मो0 कलीम, पे0 मो0 इरशाद.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

==========

आवेदक की ओर से : श्री मदन कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==========

आदेश

07-05-2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **मो0 कलीम** की ओर से एल0एन0एम0यू0 थाना काण्ड संख्या 189 / 25 **(**विद्वान सी0जे0एम0, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित**)** के अंतर्गत आरोपित अपराध धारा 137(2),96 BNS में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री मदन कुमार सिंह** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमरेन्द्र नारायण झा** को सुना।

2. अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक की पुत्री नुझत प्रवीण, उम्र 16 वर्ष जो इन्टरमीडिएट की एक छात्रा है वह अपने घर से प्रतिदिन 3 बजे दिन में कोचिंग जाती थी, परन्तु दिनांक 07.08.2025 को जब वह 3 बजे दिन में कोचिंग पढ़ने गई, तब से वह घर लौटकर नहीं आयी। तब सूचक ने अपने दोस्तों–रिश्तेदारों के यहां और सभी जगह पूछताछ तथा खोजबीन किया, परन्तु उसकी पुत्री का कहीं पता नहीं चला। सूचक को शक है कि उसके मुहल्ले का ही एक लड़का मो0 मिस्टर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर या अगवा करके गलत नियत से कहीं ले गया है। सूचक का आगे यह भी कथन है कि दिनांक 07.08. 2025 को उसके मुहल्ले का लड़का मो0 मिस्टर भी गायब है जिसपर उनलोगों को शक है। मो0 मिस्टर का मोबाईल नं0 9241940709 है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है बल्कि उसे इस कांड में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा इस केस में कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही कहीं लम्बित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का अपहृता लड़की से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पुलिस अपहृता को बरामद किया और उसका धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत बयान दर्ज

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–536 / 2026
(मो0 कलीम बनाम राज्य सरकार)

किया और उक्त अपहृता ने विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दिये गये बयान में स्वीकार की है कि आवेदक के साथ उसका प्रेम संबंध था है और वह अपनी मर्जी से स्वयं घर से गई थी तथा आवेदक ने उसका अपहरण नहीं किया था। पुलिस ने बिना किसी सबूत के आवेदक को इस मामले में अभियुक्त बनाया है। आवेदक बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने का प्रार्थना किया गया।

5. अभिलेख एवं संपूर्ण कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत कांड में प्राथमिकी धारा 137(2),96 BNS बी0एन0एस0 के अर्न्तगत दर्ज की गई हैं। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक के विरूद्ध वाद दैनिकी के कंडिका 2 में सूचक का पुनः बयान है और कंडिका संख्या 3 एवं 4 में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। पिड़िता ने अपने बयान धारा 183 बी0एन0एस0 में यह उल्लेखित की है कि दिनांक 07.08.2025 को वह अपने घर से कोचिंग जा रही थी तो मो0 मिस्टर उसे अपने साथ चलने के लिये बोला। मो0 मिस्टर उसे पटना ले गया, जहां वह कलीम से मिली। फिर तीनों पटना से बनारस चले गये। बनारस में तीन दिनों तक रहे। फिर बनारस से मुजफ्फरनगर (U.P.) घुमने गये, कलीम के साथ कुछ दिनों तक वहीं रही। पीड़िता अभी नाबालिग है तथा इस कांड का अनुसंधान अभी जारी है। आवेदक के आरोपित अपराध में सक्रिय भागीदारी के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक **मो0 कलीम, पे0 मो0 इरशाद** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

Sd/-

(जावेद आलम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम
दरभंगा।
07.05.2026

Date of Judgment/order	07.05.2026
Date of Reserving Judgment/order	07.05.2026
Uploading order	08.05.2026
Uploaded by	Satish Lal Dev, Steno